आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0 शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाषः : 0522–4070567
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://awasbandhu.in

संख्याः 356 /आ.ब–1/निदेशक/2023–24 दिनांक 24 नवम्बर, 2023

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 31 मई, 2023 को आयोजित "फैमिली आई.डी.–एक परिवार एक पहचान" योजना की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों पर कृत कार्यवाही /अनुपालन आख्या की अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–1000/आठ–1–23–103/2023 दिनांक 21.11.2023 **(प्रति संलग्न)** का संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 31 मई, 2023 को आयोजित "फैमिली आई.डी.–एक परिवार एक पहचान" योजना की समीक्षा बैठक से संबंधित कार्यवृत्त सं0–11/स.बै./34–लो0.शि.–4/2023 दिनांक 01.06.2023 की प्रति संलग्न करते हुए, उक्त पत्र में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या की अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कार्यवृत्त दिनांक 01.06.2023 के बिन्दु–3 व 13 में लिये गये निर्णय, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से संबंधित हैं, जो निम्नवत् उद्धरित हैः–

बिन्दु 3– फैमिली आई0डी0 लिंक करने के उपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के शत–प्रतिशत लाभार्थी का डाटा राशन कार्ड धारकों के आधार संख्या से मैच नहीं हुआ है अर्थात कतिपय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी राशन कार्ड के लाभार्थी नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना के ऐसे लाभार्थियों की गहन परीक्षण कर फैमिली आई0डी0 के साथ जोड़ा जाये।

बिन्दु 13– आधार का दुरूपयोग रोकने के लिये आधार प्रमाणीकरण/ई.–के0वाई0सी0 ई.–पॉश मशीन तथा अन्य माध्यमों से कराया जाये।

3. अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक ए.एच.पी. के अंतर्गत एम.आई.एस. अटैचमेन्ट से अवशेष लाभार्थियों का एम.आई.एस. अटैचमेन्ट शीघ्र कराने के साथ–साथ उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार यथाआवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक</u>–यथोक्त।

भवदीय,
24/11/2023
(रवि जैन)
निदेशक

<u>प्रतिलिपि–</u> अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन को उनके उक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रवि जैन)
निदेशक

ई–241 ए/आ. व/23
21/11/23

संख्या– 1000 /आठ–1–23–103/2023

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उ0प्र0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांकः 21 नवम्बर, 2023**

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 31 मई, 2023 को आयोजित ''फैमिली आई0डी0–एक परिवार एक पहचान'' योजना की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों पर कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या की अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग का पत्र सं0–17/7–331/7883/ज0नि0प्र0/2019टी0सी0–3 दिनांक 06 नवम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न पत्र दिनांक 01 जून, 2023 में उल्लिखित बिंदुओं पर कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या की अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित बिंदुओं पर कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या की अद्यावधिक स्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,
Arun Kumar
(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

श्री आर.आर.पा.ओ/
22/11/23

E:Note+GO G.Sir.GO

1050/आ०-1-23

सं० 2427/आ०-6-2023

File No.SMPD-MPD03/1/2022-MPDROE1

पत्रांक: 17/7-331/7883/ज0नि0प्र0/2019टी0सी0-3

प्रेषक,

निदेशक,
जनशक्ति नियोजन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0,
पंचम तल, योजना भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन विभाग, जनशक्ति नियोजन प्रभाग — दिनांक: 06 नवम्बर, 2023

विषय: माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 31 मई, 2023 को आयोजित "फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान" योजना की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों पर कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या की अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराने के सम्बन्ध में।

850401/ACS/H/
VS(B)/आ-6

महोदया/महोदय,

कृपया प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-27स0वै0/34-लो0शि0-4/2023 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 31 मई, 2023 को आयोजित "फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान" योजना की समीक्षा बैठक में हुई चर्चा तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-[illegible]स0वै0/34-लो0शि0-4/2023 दिनांक 01 जून, 2023 में उल्लिखित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या की अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या की अद्यावधिक स्थिति से शीघ्रातिशीघ्र मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराते हुये उसकी प्रति नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

77/VSH(MPB)/23
US(M)

संलग्नक: यथोक्त।

08.11.23
(महेन्द्र प्रसाद भारती)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

भवदीय,
06/11/23
(चन्दन सिंह)
निदेशक।

पत्रांक व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

S.O. 6
08.11.23

आवास-1
8/08-11-2023

अनु०अ०-4
9.11.23

File No.SMPD-MPD03/1/2022-MPDROE1

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्याः 23 सी.एम. 34-लो० शि० - 4 / 2023

दिनांक 06|10|23

पत्रांक 979 / प्र०नि०प्र० / 2023
दिनांक 17/10/2023

प्रिय महोदय/महोदया,

1100/PS/P/23

मानननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 31 मई, 2023 को आयोजित 'फैमिली आईडी-एक परिवार एक पहचान' प्रक्रिया की समीक्षा बैठक में हुई चर्चा तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या- 11स०वे०/34-लो०शि०-4/2023, दिनांक 01 जून, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

Pl. discuss

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव
नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

2. उपरोक्तानुसार सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अत: मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या की अद्यावधिक स्थिति से एक सप्ताह में अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

Dir./MPD

संबंधित विभागों हेतु पत्रालेख सहित प्रस्तुत करें।

17/10/23

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव
नियोजन विभाग
उ०प्र० शासन, लखनऊ

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग, उ०प्र० शासन।

RO(A)

17/10/23

File No.SMPD-MPD03/1/2022-MPDRO ..../MS/CM/2023

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या I/स.बै./34-लो.शि.-4/2023 पत्रांक 264 / अ०नि०प्र०/2023 दिनांक 09/06/2023 दिनांक जून, 2023

मानवीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 31 मई, 2023 को आयोजित 'फैमली आईडी - एक परिवार एक पहचान' प्रक्रिया की समीक्षा बैठक में हुई चर्चा तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश

- प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा 'फैमिली आई.डी. - एक परिवार एक पहचान' के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतीकरण कर योजना की प्रगति प्रस्तुत की गई। अवगत कराया गया कि प्रदेश में लगभग 03.61 करोड़ परिवार राशन कार्ड से आच्छादित हैं, जिनका राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आई0डी0 होगा। राशन कार्ड से अनाच्छादित परिवारों हेतु फैमिली आई0डी0 पोर्टल निर्मित किया गया है, जिसके फलस्वरूप कुल 77,996 आवेदन प्राप्त हुए तथा कुल 32,383 आवेदन स्वीकृत हुए। प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा विगत 06 माह में जिन विभागों संचालित योजनाओं को आधार अधिसूचित किया गया है, उनमें आधार सत्यापन व विभागीय पोर्टल् से फैमिली आई0डी0 पोर्टल से लिंकेज की स्थिति भी सामने रखी गयी; साथ ही जिन विभागों में आधार अधिसूचना की कार्यवाही लम्बित है, उनके सम्बन्ध में भी विवरण प्रस्तुत किया गया।

- प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. ऐसी समस्त योजनाएं, जिनमें लाभार्थियों को धनराशि बैंक खातों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है या अन्य प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, उन्हें आधार अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षण कर शीघ्र आधार अधिसूचित करने के व फैमिली आई0डी0 से लिंक करा जाए।

(कार्यवाही : समस्त विभाग)

2. स्वरोजगार से जुड़ी समस्त योजनाओं को भी परीक्षणोपरान्त 15 जून तक आधार अधिसूचित किया जाए। केन्द्र सरकार की सहायता से संचालित योजनाओं में लाभार्थियों का डेटाबेस प्राप्त करने हेतु सभी प्रशासनिक विभाग स्वयं प्रयास करें और यह कार्यवाही 30 जून तक पूर्ण कर ली जाए।

(कार्यवाही : समस्त विभाग)

3. फैमिली आई0डी0 लिंक करने के उपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के शत-प्रतिशत लाभार्थी का डाटा राशन कार्ड धारकों के आधार संख्या से मैच नहीं हुआ है अर्थात् कतिपय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी राशन कार्ड के लाभार्थी नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना के ऐसे लाभार्थियों की गहन परीक्षण कर फैमिली आई0डी0 के साथ जोड़ा जाए।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग)

(अमृता सोनी)
प्रमुख स्टाफ आफिसर
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन

(सुनील आर्य)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
जन, कार्यक्रम कार्यान्वयन,
... एवं प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

निदेशक, जनशक्ति
09.06.23
(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव
नियोजन विभाग
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

RO(A/AT)
09/6/2023
(चन्दन सिंह)
निदेशक
जनशक्ति नियोजन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0,
योजना भवन, लखनऊ

4. पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित लाभार्थियों की आधार संख्या के सापेक्ष प्रमाणीकरण करने के उपरान्त ही योजना का लाभ दिया जाए।

(कार्यवाही : कृष विभाग)

5. ई-श्रम पोर्टल पर लगभग 8.33 करोड़ पंजीकृत श्रमिक हैं; प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों का डाटा प्रदेश की जनसंख्या के सापेक्ष अत्यधिक है, जिसका सम्बन्धित विभाग द्वारा गहन परीक्षण कर प्रमाणिक डाटा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाए।

6. निराश्रित महिला पेंशन हेतु आयु सीमा का परीक्षण कर इसे व्यावहारिक बनाया जाए, जिससे हर जरूरतमंद निराश्रित महिला को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उचित प्रचार-प्रसार कर सभी पात्रों को योजना का लाभ प्रदान किया जाए।

(कार्यवाही : महिला कल्याण विभाग)

7. बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनायें यथा एकीकृत बाल विकास सेवाएं - अनुपूरक पुष्टाहार योजना एवं किशोरियों के लिए योजना के लाभार्थियों का डाटावेस फैमिली आई0डी0 से लिंक किया जाए।

(कार्यवाही : बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग)

8. भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा स्वच्छ भारत मिशन योजना, सौभाग्य योजना (पी0एम0 सहज बिजली हर घर योजना), ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं तथा उज्जवला योजना के लाभार्थियों के डाटावेस को फैमिली आई0डी0 से लिंक किया जाए।

(कार्यवाही : सम्बन्धित विभाग)

9. एक जिला एक उत्पाद योजना (ओ0डी0ओ0पी0) में संचालित योजनाओं को फैमिली आई0डी0 से लिंक किया जाए। योजना की मार्केटिंग वेबसाइट में सुधार करते हुए, उसे यूजर फ्रैन्डली बनाते हुए आकर्षक एवं आधुनिक रूप प्रदान किया जाए। एक जिला एक उत्पाद योजना (ओ0डी0ओ0पी0) के उत्पादों की नए डिजाइन की आधुनिक एवं आकर्षक पैकिंग करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पैकेजिंग एवं डिजाइन इन्स्टीट्यूट की स्थापना करने हेतु विचार किया जाए।

(कार्यवाही : सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग)

10. आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्रों को फैमिली आई0डी0 से जोड़ते हुये इन्हें सुगम बनाया जाए तथा ग्राम सचिवालय स्तर पर भी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग)

11. यदि फैमिली आई0डी0 से लिंक किसी परिवार के सदस्य का पूर्व में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत हो चुका है, तो उसी परिवार के अन्य सदस्य/सदस्यों के जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण पर विचार कर लिया जाए।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग)

12. फैमिली आई0डी0 ई-पासबुक लांच करने से पूर्व महत्वपूर्ण योजनाओं के सभी योजनाओं के लाभार्थियों का प्रमाणीकरण/सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. आधार का दुरूपयोग रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण/ई-के0वाई0सी0 ई-पॉश मशीन तथा अन्य माध्यमों से कराया जाए।

(कार्यवाही : समस्त विभाग)

14. फैमिली आई0डी0 डेटाबेस के माध्यम से उपलब्ध कराए गए डेटा ऐनालिटिक्स के आधार पर सम्भावित लाभार्थियों व योजनाओं से वंचित लाभार्थियों का जो विवरण नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका स्थलीय सत्यापन कर सभी विभाग योजना से लाभार्थियों को आच्छादन सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही : समस्त विभाग)

15. आधार अद्यतिकरण व बायोमैट्रिक अपडेशन की कार्यवाही भी सतत चलती रहे।

❖ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उपर्युक्त सभी पर कार्यवाही प्रारम्भ करने, मुख्य सचिव के स्तर पर इन कार्यवाहियों की प्रत्येक पक्ष समीक्षा करने तथा इन सभी कार्यवाहियों को विलम्बतम 31 जुलाई, 2023 तक पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए गए हैं।

(एस.पी. गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय
संख्या : 11 /स.वै./34-लो.शि.-4/2023
लखनऊ दिनांक : 1 जून, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(एस.पी. गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री